न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चितौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या – 02/2018

दायर दिनाँक – 22.02.2018

निर्णय दिनाँक – 24.03.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. हजारीलाल पिता कालुराम जाति-बैरवा, नि॰-देवड़ों का खेड़ा तहसील-भूपालसागर (चितौड़गढ़)		1. बालुराम पिता जीतमल बैरवा निवासी-देवड़ों का खेड़ा 2. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि॰ ग्राम-कानाखेड़ा 3. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर तहसील-भूपालसागर (चितौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति – श्री मांगीलाल बैरवा वकील प्रार्थी
– श्री पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 3

* निर्णय *

वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :-

(1) यह है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की आराजियात मौजा देवड़ों का खेड़ा प॰ह॰ कानाखेड़ा में स्थित है जिसके हाल आ॰नं॰ 77 व 78 है। सबूत के लिए चालू जमाबंदी, नजरी मानचित्र व नक्शा ट्रेस पेश है। यह है कि प्रार्थी की [illegible] पर आने-जाने के लिए देवड़ो का खेड़ा से गुजरिया खेड़ी जाने वाली सड़क से आ॰नं॰ 92 व 91 के पश्चिमी पाली पर उत्तर-दक्षिण गाड़ी गडार करीब [illegible] फीट-चौड़ा रास्ता बना हुआ है जिस पर प्रार्थी वर्ष 2012 से उपयोग करता आ रहा है खाली भरी बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। आ॰नं॰ 92 में प्रवेश कर आ॰नं॰ 91 में होते हुए आ॰नं॰ 86 के दक्षिणी पाली पर

A 25.3.21
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:54 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

Scanned with CamScanner

पूर्व- पश्चिम पर होकर के प्रार्थी अपने खातेदारी की आ०न० 77, 78 में प्रवेश करता है।

(2) यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 के द्वारा पूर्व खातेदार उदयराम पिता सोला बलाई निवासी देवड़ो का खेड़ा से आराजियात क्रय की तथा विक्रेता द्वारा दिनांक 23 03 2012 को प्रार्थी के पक्ष में विक्रय-पत्र का पँजीयन कराया। उक्त विक्रय-पत्र मे भी स्पष्ट अंकन किया है कि विक्रय शुदा जमीन मे आने-जाने का रास्ता मेरी बेची गयी आराजी मे पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण की ओर दो गठा के आसपास भरी हुई बैलगाड़ी आने- जाने जितना रास्ता तथा मेरे द्वारा बेची गयी आराजी जो मैने बालू पिता जीतमल बैरवा को बेची है उसमे पूर्व से पश्चिम की ओर 2 गठा खाली भरी बैलगाड़ी जितना रास्ता से आप खरीददार भी आ जा सकते है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 द्वारा क्रय भूमि के साबिक आ०न० 42, 43 व 44 है।

(3) यह है कि प्रार्थी की आराजियात मे आने- जाने हेतु एकमात्र करीमी रास्ता यही है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थी के खातेदारी आ०न० 77 व 78 मे आने- जाने, खाली भरी बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी की आ०न० 86 के दाहिणी पाली पर पूर्व - पश्चिम पर होकर के प्रार्थी के अपने खातेदारी की आराजी मे प्रवेश करने हेतु दो गठा (30 फीट) चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने का आदेश फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना- पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से केवल अप्रार्थी संख्या-3 बाद तामिल उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। हमने पत्रावली में उपलब्ध भू० अ० निरीक्षक जाशमा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार पर्चा मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी को अपनी आ० न० 77 व 78 में पहुँचने हेतु आ०न० 92, 91 व 86 में से होकर [illegible] पर पहुँचना पड़ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक [illegible] नहीं है ना ही अन्य कोई ओर रास्ता का विकल्प [illegible] है। [illegible] खातेदारी की आराजियात मे आने-जाने हेतु आ०न० 86 व [illegible] जो कि अन्य खातेदारो के नाम दर्ज रिकार्ड है में से आने जाने हेतु रास्ता चाहता है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:54 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

Scanned with CamScanner

प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से होकर अपनी आराजियात में आता-जाता है प्रार्थी को आ०न० 92 व 96 में से 4-मीटर के लगभग रास्ते की आवश्यकता है जिसमें आ०न० 92 में से- 65×4-मीटर = 260 वर्ग मीटर एवं आ०न० 96 में से भी 65×4 मीटर = 260 वर्ग मीटर, इस प्रकार रास्ता हेतु कुल 520 वर्ग मीटर भूमि चाहता है। आ०न० 91 प्रार्थी के स्वयं के नाम से सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। नजरी नक्शा अनुसार 'ज', व 'स' (लाल स्याही) अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता यही है। संलग्न नजरी नक्शा इस रिपोर्ट का भाग है।

पत्रावली को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज किया जाकर संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ता को अवगत कराकर सुनवाई की गयी जिसमें प्रार्थी की ओर से श्री मांगीलाल चौरसा अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या-1 व 2 की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा- 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त वर्णित रास्ते में ली जाने वाली भूमि का नाप-चौक कर नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी राशी को विधिक खातेदारो के भुगतान हेतु प्रार्थी से जरिये डीडी अथवा चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु भूमि देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक कच्चाणी रास्ते का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपी सह नजरी नक्शा, मौका रिपोर्ट तहसीलदार भूपालसागर को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया

Signature Not Verified

(सुखाराम पिंडेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.25 19:01:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner